1. मूलरूप में ही विधेयक को पारित करना ।
2. विधेयक को अस्वीकार कर देना
3. 14 दिन तक कोई कार्रवाई न करना
4. सुझावपरक संशोधनों सहित विधेयक को लोकसभा में भेजना

(3) और (4) की स्थिति में यह स्वतः समझा जाएगा कि राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया है। धन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विनियोग विधेयक तथा 'वार्षिक वित्त विधेयक' (बजट) धन विधेयक है।

वित्त विधेयक - राजस्व या व्यय से सम्बद्ध कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है। यदि उसे लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक के रूप में सत्यापित न कर दिया हो। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं :- 1. वह विधेयक जिसमें अनु. 110 में विनिर्दिष्ट विषय निहित हों।
2. एक साधारण विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय के संबंध में प्रावधान निहित हों।

संविधान संशोधन विधेयक - Art 368. यह विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। विशेष बहुमत से पारित किया जाता है मतलब कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत।

Next Notes →

Scanned with CamScanner